

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,  
प्रमुख सचिव,  
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,  
राजस्व परिषद,  
उ0 प्र0 लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-4

लखनऊ दिनांक 13 अक्टूबर, 2017

विषय:- केन्द्र पुरोनिधानित राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एन0एल0आर0एम0पी0) के अन्तर्गत प्रदेश के 70 जनपदों के भू-मानचित्रों को डिजिटाइज किये जाने हेतु अन्तर धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने के सम्बन्धमें।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-188/1-8-2017/क0से0/19/2005 दिनांक 20.06.2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसमें आप द्वारा भू-मानचित्रों के डिजिटाइजेशन हेतु अन्तर की धनराशि रूपयें 521.477 लाख को राज्य सरकार से वहन करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश के 70 जनपदों के भू-मानचित्रों के डिजिटाइजेशन के कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा रूपयें 1000/- प्रति मैपशीट की दर से 105001 मैपशीट हेतु स्वीकृत धनराशि तथा राजस्व परिषद द्वारा की गई निविदा में प्राप्त दर (रू0 1496.64 प्रति मैपशीट) के अनुसार भुगतान किये जाने हेतु अन्तर की धनराशि रूपयें 521.477लाख (रूपया पांच करोड़ इक्कीस लाख सैतालिस हजार सात सौ मात्र) को राज्यांश के मद से स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है। कृपया तदक्रम में आगामी विधान मण्डल सत्र में अन्तर की धनराशि रूपयें 521.477 लाख की बजट व्यवस्था कराने हेतु सुसंगत प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

3. भू-अभिलेखों से सम्बन्धित पुराने अभिलेखों/भू-मानचित्रों को सुरक्षित रखे जाने की व्यवस्था राजस्व परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)  
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

<http://shasanadesh.up.nic.in>

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।